भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केंद्रीय कमेटी

प्रेस वक्तव्य

दिनांक–09 सितंबर, 2017

न्याय पालिका के अन्यायपूर्ण फैसलों व सजाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करो!
अमर शहीद कॉमरेड जतिन दा के 98 वें शहादत दिवस के मौके पर जेलबंदी कॉमरेडों का अधिकार दिवस मनाओ!

13 सितंबर कॉमरेड जतिन दास का शहादत दिवस और हमारे लिए यादगार दिवस है. आखिर कौन हैं, ये जतिन दास? 87 साल पहले लाहोर जेल में 64 दिन के आमरण अनशन के बाद अपने प्राण न्योछावर करने वाले राष्ट्रीय क्रांतिकारी थे, जतिन दास. अंग्रेजी साम्राज्यवादियों के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष करने वाले राष्ट्रीय क्रांतिकारियों में से वे एक थे. शोषण व जुल्म पर आग उगलने वाली युवा पीढ़ी के लिए आदर्शप्रिय व महान क्रांतिकारी कॉमरेड भगत सिंह के साथियों में से वे एक थे. वे एक निस्वार्थ व ईमानदार देशभक्त थे. अंग्रेजी हुकूमत में जेलबंदी के रूप में जेलबंदियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए सलाखों के पीछे उन्होंने पुलिस अत्याचारों व यातनाओं का डटकर मुकाबला किया था. पानी की एक बूंद के लिए तरसते हुए भी उन्होंने अपने फौलादी इरादे को टूटने नहीं दिया और अपनी जान की कुरबानी दी. कॉमरेड जतिन दा को याद करने का मतलब है, साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों में व जेलबंदी साथियों के समर्थन में और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेना. इसलिए उस दिशा में कमर कसने, विशेषकर देशभर की जेलों में बंद माओवादी कार्यकर्ताओं, विस्थापन विरोधी, प्रगतिशील–जनवादी, मानवाधिकार आन्दोलनों के नेताओं व कार्यकर्ताओं एवं क्रांतिकारी जनता के अधिकारों के समर्थन में आवाज उठाने, संघर्ष करने, उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा दिलाने व उनकी रिहाई के लिए भाईचारा आन्दोलनों को खड़ा करने हमारी पार्टी क्रांतिकारी जनता एवं जनवादी–प्रगतिशील अधिवक्ताओं का आह्वान करती है.

21वीं सदी की शुरुआत से ही साम्राज्यवादी खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादी 'वॉर ऑन टेर्रर' (आतंकवाद पर युद्ध) के नाम पर आन्दालनकारियों पर अनवरत हमलें कर रहे हैं. साम्राज्यवादी शोषण व उत्पीड़िन के खिलाफ संघर्षरत देशभक्तों, क्रांतिकारियों व आन्दोलनकारियों को आतंकवादी कहकर उन्हें कई यातनाएं देते हुए, सलाखों के पीछे वह भी गुनाहखानों में जंजीरों में जकड़कर सड़ाया जा रहा है. साम्राज्यवादियों के तत्वावधान में जारी हर बैठक में आतंकवाद पर युद्ध एक मुख्य एजेण्डा बना हुआ है. वर्तमान में सामाजिक साम्राज्यवादी चीन के शियामन शहर में जारी ब्रिक्स देशों की बैठक के एजेण्डे में भी वह एक मुख्य मुद्दा है. विगत के अमेरिका अध्यक्ष बुश से लेकर वर्तमान सामाजिक साम्राज्यवादी चीन के अध्यक्ष शि–जिंग–पिंग तक सभी जो असली आतंकवादी है, का पसीना छुड़ा रहा है, 'आतंकवाद' की समस्या. पूरी दुनिया में अत्यधिक संख्या में लोगों को आतंकवादी के नाम पर बंद करने वाला अमेरिका ही है. उसमें भी काले राष्ट्रीयता के लोग सबसे ज्यादा हैं. दुनिया में पहली बार जापान के हीरोशिमा व नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराकर लाखों की संख्या में लोगों की जान लेने वाले एवं विकलांग बनाने वाले अमेरिका के आतंकवाद के बारे में कौन नहीं जानता है? गौतनामा बे जेलबंदियों के साथ की गयी अमानवीय यातनाएं क्या साम्राज्यवादियों के असली चेहरे को बेनकाब करने के लिए काफी नहीं है? यहां यह उल्लेख करना वाजिब होगा कि दुनिया भर में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष तेज हो रहे हैं. जर्मनी के हैमबर्ग शहर में जी–20 देशों की बैठक के खिलाफ लाखों लोगों द्वारा विरोध दर्ज करना इसका ताजातरीन उदाहरण है.

हमारे देश में विगत तीन सालों से भगवा आतंकवादी ताकतों का शासन जोरों से जारी है. गांव के सरपंच से लेकर देशाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तक भगवा संतानों को आगे लाया जा रहा है. देश की जनता की जीवन–मरण की एक भी समस्या को छुए बगैर मोदी अण्ड कंपनी जहां भी जाती है, एकमात्र समस्या–आतंकवाद को सामने लाते हुए समय बिता रही है. पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों के गला घोंटने को ही देश में मोदी द्वारा अपनाए गए सर्जिकल स्ट्राइक का उद्देश्य बताया जा रहा है. क्या इस पर यकीन किया जा सकता है कि मोदी की नोटबंदी के पीछे के कारणों में से प्रमुख है, देश में बढ़ते आतंकवाद पर लगाम कसना? जब देश में भयानक रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं और दसियों की संख्या में लोग जान गंवा रहे हैं, घायल हो रहे हैं तो बेशर्मी से यह कहा जा रहा है कि उन दुर्घटनाओं के पीछे आतंकवादियों की साजिशें हैं. क्या इस पर भी जनता को विश्वास करना चाहिए? अब मोदी अण्ड कंपनी यह कहते हुए कि नए भारत के लिए समालोचनाएं करेंगे, 2022 तक देश को नए भारत में तब्दील करने के लिए संकल्प से सिद्धि अभियान के लिए कमर कसने की बात कह रही है. मोदी के शासन में 'एमएएन'(मोहन भागवत, अमित शाह, नरेंद्र मोदी) मैन नीतियों के चलते तमाम कट्टर भगवा अपराधी जेल की सलाखों से बाहर आ रहे हैं जबकि असली देशभक्तों, लोकतंत्रवादियों, आन्दोलनकारी एवं क्रांतिकारियों को सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है. 1996 में बाबरी मसजिद को गिराने वाले कारसेवकों को दो दशक बाद भी सलाखों का हिसाब करने की नौबत नहीं आयी. इस घटना को देश के इतिहास में मुसलमान अल्पसंख्यक कभी नहीं भूल सकेंगे. 2007 के समझौता एक्सप्रेस को जलाने, 2008 के मालेगांव विस्फोटों के मामलों में लिप्त खुंखार अपराधी प्रज्ञा ठाकूर, अस्मितानंद जैसे लोग

'बिना गवाही' के दोषमुक्त हो रहे हैं. ये सब मोदी के शासन के लिए आवश्यक हैं. मोदी के 'फ्लैग शिप' प्रोग्राम 'मेक इन इंडिया', उसकी मदद करने वाले 'स्किल इंडिया', इन्हें आवश्यक सेवाएं देने के लिए 'स्टार्ट अप इंडिया', 'स्टैण्ड अप इंडिया' को समझे बगैर मोदी की नीतियों को समझना मुश्किल काम है. इन नीतियों का रंगरोगन करने वाले स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटीज को समझना भी मुमकिन नहीं है. मोदी के मुंह खोलते ही अपार देशभक्ति, गरीबों के प्रति अंतहीन प्यार, भ्रष्टाचार पर युद्ध, मगरमच्छ के आंसू, समर्पण की भावना, सेवा तत्परता आदि बातें निकलती हैं. इनके पीछे की असलियत को समझने के लिए हमें कोई अपराध जांच के अधिकारी बनने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन ऐसे वक्त में मोदी की जीत के लिए धन खर्च करने वाले अदानी, अंबानी, जिंदल, मित्तल, एस्सार जैसे कॉरपोरेट घरानों को याद करना काफी है. अपने तमाम साथयों को पीछे छोड़कर प्रचार व प्रसार माध्यमों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने वाले मोदी अण्ड कंपनी के पीछे ये ही ताकतें खड़ी हैं. इस सच को जनता के सामने आने से रोकने के लिए ही है, उनका 'आतंकवाद पर युद्ध'. असल में आज देश के सभी जगहों पर जनता अपनी समस्याओं को लेकर जुझारु ढंग से आगे आ रही है. महाराष्ट्र में लाखों किसानों ने अपने कृषि उत्पादों के लिए पर्याप्त समर्थन मूल्य की मांग करते हुए सड़कों पर उतरकर राज्य के कई बाजारों तक माल पहुंचने की व्यवस्था को ठप्प कर दिया था. मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के किसान आन्दोलनों ने शासकों को हिलाकर रख दिया था. वे इस हद तक गुस्सैल हो गए थे कि उन्होंने खुलेआम यहां तक घोषणा कर डाली कि वे बंदूक थामने से भी पीछे नहीं हटेंगे. पाटीदारों, जाटों, मराठों व काप लोगों सहित खेती के पेशे से जुड़े अन्य लागों की दीर्घकाल से लंबित समस्याओं के चलते उत्पन्न कृषि संकट का सही हल न कर पाने वाले शासक वर्ग के लोग उनके सामने खासकर युवा वर्ग के सामने आरक्षण जैसी मांगों को रखकर असली समस्या से उन्हें भटका रहे हैं. विगत तीन सालों का अनुभव यह बता रहा है कि 'मैन' नीतियों की वजह से रोजगार के मौजूदा अवसर ही खत्म हो रहे हैं. जबकि नए रोजगार के अवसर मृगमरीचिका के बराबर ही हैं. 'मैन' नीतियों के चलते समाज में ब्राह्मणीय अपराधियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और हिन्दुत्व अराजकता सभी जगहों पर विभिन्न रूपों में, विभिन्न नामों से बढ़ रही है. गोरक्षक एवं उनका 'मॉब लिंचिंग' जनता में आतंक पैदा कर रहे हैं. जिन भगवा आतंकियों को सलाखों के पीछे रहना चाहिए था, वे खुलेआम अपने 56 इंच का सीना तानकर घूम रहे हैं. असली देशभक्तों, लोकतंत्रवादियों, जनहितकारी ताकतों को हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है, उन्हें यातनाएं दे रहे हैं, उन्हें खत्म किया जा रहा है. यही आज के देश का सही तस्वीर है. इसे समझने एवं 13 सितंबर को राजनीतिक बंदियों की निशर्त रिहाई के लिए संघर्ष दिवस के रूप में मनाने के बीच अविभाज्य संबंध है. देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों एवं उनके लिए सबब बनने वाली पूंजीवादी, साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियों को गहराई से व समग्रता से समझे बिना उन्हें सुरक्षा प्रदान करने वाली सेना, न्याय व्यवस्था, जेल आदि को नहीं समझ सकते हैं. इन्हें समझे बगैर मजबूत जन आन्दोलनों का निर्माण नहीं कर सकते हैं.

हमारे देश में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष कई रूपों में जारी हैं. इनमें देश की जनता खासकर किसानों व आदिवासियों द्वारा जारी विस्थापन विरोधी जन आन्दोलन सबसे आगे हैं. उसी श्रेणी में ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी विचारों के खिलाफ संघर्ष देश भर में चल रहे हैं. तमाम जायज जन आन्दोलनों का विगत पांच दशकों से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नेतृत्व करती आ रही है या समर्थन करती आ रही है या भाईचारा प्रकट करती आ रही है. हर साल ठोस लक्ष्य रखकर शोषक–शासक वर्ग हमारी पार्टी के खिलाफ दमनकारी नीतियों को अमल में ला रही हैं. देश की सैकड़ों जेलें इसी को प्रतिबिंबित करती हैं.

देश की रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, दंतेवाडा, कांकेर, नागपुर, चंद्रपुर, अमरावती, सिकिंदराबाद, चर्लापल्ली, वारंगल, विशाखापट्टणम, कोरापुट, बरंपुरम, रांची, जहानाबाद, गया, चाइबासा, पटना, भोपाल, कोलकाता एवं अन्य कई जेलों सहित देश की राजधानी दिल्ली स्थित तीहाड़ से लेकर सुकमा जिसे माओवाद प्रभावित जिलों में प्रथम श्रेणी में देखा जाता है, जिला जेल तक की सैकड़ों जेलों में माओवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, क्रांतिकारी जन संगठनों के कार्यकर्ता, जनता ना सरकारों के नेता व कार्यकर्ता एवं क्रांतिकारी जनता तक सैकड़ों की संख्या में बंद हैं. इनमें लंबे समय से बंद लोग हैं. कई साथी तो अंडर ट्रयल्स के रूप में कई सालों से हैं. कइयों का सालों बीत जाने के बाद भी ट्रयल तक शुरु नहीं हो सका है. कई तो सजा दिए जाने से भी 2–3 सालों में छूट जाते लेकिन वे बिना ट्रयल के 5 से 7 सालों से कानूनी मदद के अभाव में जेलों में बंद हैं. दसियों साथी लंबे कठोर कारावास या आजीवन कारावास के शिकार हैं. इनमें महिलाएं व पुरुष हैं. बिहार की मुंगेर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पिछले दिनों पांच क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनायी. हाल ही में दंतेवाडा न्यायालय ने माओवादियों को लेथ मिशन की आपूर्ति करने की झूठी गवाही के आधार पर 8 निर्दोष लोगों को दस–दस साल की सजा सुनायी जोकि निंदनीय है. अपराधी न्याय व्यवस्था द्वारा सुनाए गए अन्यायपूर्ण फैसलों के चलते सजाएं भुगतने वालों में दिल्ली विश्व विद्यालय के रामलाल आनंद महाविद्यालय के प्रोफेसर व क्रांतिकारी जनवादी मोर्चा के नेता, 90 प्रतिशत विकलांग जीएन साईबाबा, माओवादी कार्यकर्ता रैनु, मधु, गड़चिरोली जिले के मूरेवाडा गांव के मूलवासी युवक पांडु नरोटी, कांकेर जिले के बांदे गांव के व्यापारी बाबूलाल शर्मा, पोरोण्डी गांव के सुखनाथ नरोटी एवं अन्यान्य लोग हैं. अंडर ट्रयल्स के रूप में पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से माओवादी कार्यकर्ता निर्मला व पद्मा, दो केसों में 17 साल की लंबी सजा भगत रही मालती उर्फ शांतिप्रिया, नागपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगतने वाली भाम्रागढ़ तहसील के मल्लमपूडूर गांव की मूलवासी महिला चैते पल्लो जेलों में बंद हैं. चैते की मासूम बेटी बिना किसी अपराध के ही पिछले 14 सालों से मां के साथ जेल में सजा भुगतते हुए पल–बढ़ रही है. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेताओं में से 70 साल की उम्र पार करने वाले जयपाल दा अंडर ट्रयल के रूप में जगदलपुर जेल में है जबकि कोबाड दा, भूपेश दा जैसे सीनियर सिटिजन्स देश के

अलग–अलग जेलों में बंद हैं. सुमित दा, जसपाल जी, मडकाम गोपन्ना, आशुतोष, सादनाला रामकृष्ण, आरके, नारन्ना, विजयक्का, वारणासी सुब्रह्मण्यम आदि कई नेता जेलों में दृढ़तापूर्वक पार्टी झण्डे को ऊंचा उठाए रखे हुए हैं. 'इंकिलाब जिंदाबाद' का नारा बुलंद कर रहे हैं. जेलों को जन संघर्षों के केंद्रों एवं क्रांति की पाठशाला में तब्दील कर रहे हैं. देश में ऐसा कोई जेल नहीं है जहां जेलबंदियों को राजनीतिक बंदियों का दर्जा देने की मुख्य मांग सहित, जेल मैनुअल के मुताबिक ही सही न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने, शोषक–शासक वर्गों के ही संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन न करने की मांगों को लेकर जेलबंदियों के आन्दोलन न हुए हों. विगत सात सालों से देश भर की जेलों में माओवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथी कैदियों के साथ मिलकर हर साल 13 सितंबर को कॉमरेड जतिन दास के शहादत दिवस को जेलबंदियों के अधिकार दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं. उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आगामी 13 सितंबर को तमाम जेलबंदी कॉमरेडों की निशर्त रिहाई के लिए संघर्ष दिवस के रूप में मनाने हमारी पार्टी समूची क्रांतिकारी जनता का आह्वान करती है.

जनपक्षधर अधिवक्ताओं से अपीलः

देश की विभिन्न जेलों में बंद राजनीतिक बंदियों के विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों में पैरवी करते हुए उनकी रिहाई के लिए हर संभव प्रयास करने वाले सभी जनपक्षधर अधिवक्ताओं तथा राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए कार्यरत तमाम जनवादप्रेमियों का सबसे पहले हमारी पार्टी क्रांतिकारी अभिवादन पेश करती है और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती है. इस क्रम में हाल ही में बस्तर के सुकमा जिले में ऐसे वकीलों में से कुछेक को जेल की सलाखों के पीछे धकेलने की सरकारी साजिश का सामना करना पड़ा. जेलबंदी वकीलों को बंदियों व कैदियों की समस्याओं को नजदीक से जानने का मौका मिला. उनकी रिहाई के लिए और भी कइयों न्याय संघर्ष करने की आवश्यकता रोज–ब–रोज बढ़ रही है. जेलबंदियों की मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं. पहला, कई माओवादी कार्यकर्ता साथियों पर बार–बार नए केसेस लगाकर उन्हें जेलों में सड़ाया जा रहा है. उनकी कानूनी रिहाई में अडंगा लगाया जा रहा है. कॉमरेड निर्मला जिन्हें अब तक 150 से भी ज्यादा मामलों में विभिन्न न्यायालयों ने बाइज्जत बरी कर दिया था, पिछले दस साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद है और अब नए सिरे से लगाए गए 25 मामलों का सामना कर रही हैं. शायद यह देश में पहली महिला हैं जिन पर इतने सारे केसेस लगाए गए हैं और ढेरों मामलों में बरी भी हो गयी हैं. कॉमरेड पद्मा जिन्हें दो बार जेल से रिहा होने के बाद फिर से जेल गेट से नए मामलों में बंद की गयी हैं, और मडकाम गोपन्ना जिन्हें एक बार रिहा होने के बाद नए मामलों में फिर से बंद किए गए हैं, पिछले करीबन दस साल से जेलजीवन बिता रहे हैं. यह मामला दरअसल बंदियों को उनके जीने के अधिकार से वंचित करने का है. किसी के गिरफ्तार होने के तुरंत बाद उन पर दर्ज सभी मामलों को अदालत में चलाने का आदेश न्यायालयों की ओर से पुलिस को जारी कराने के लिए संघर्ष करने की जरूरत है. कई साथी ऐसे अपराधों में जो वे किए ही नहीं हैं, बिना गवाही के ही या झूठी गवाही में दी गयी सजाएं भुगत रहे हैं. कॉमरेड मालती उर्फ शांतिप्रिया को उनके घर में हथियार मिलने के आरोप वाले मामले में 7 साल एवं सीडी मिलने के आरोप वाले मामले में 10 साल की सजा सुनायी गयी. अब वे दोनों सजाओं को अलग–अलग भुगतने बाध्य की गयी हैं. जबकि दोनों मामले एक ही विषय से संबंधित हैं. उनके घर में पहली बार तलाशी के दौरान हथियार मिलने का आरोप लगाकर मामला दर्ज किया गया था. पहली तलाशी के 15 दिन बाद जबकि वो पुलिस हिरासत में ही थी, दूसरी तलाशी की गयी और सीडी मिलने का आरोप तय किया गया था. दो बार तलाशी करके दो केसेस लगाए गए थे. दोनों में सजाएं दी गयी. पुलिस चाहे जितनी बार भी तलाशी ले सकती है और जितने चाहे केसेस लगा सकती है. न्यायालयों में जजों को इससे कोई मतलब नहीं होता है. उनका काम तो सजाएं देना ही है. एक ही विषय से संबंधित केसों में दी गयी सजाओं को एक साथ चलाने के आदेश के लिए न्यायिक संघर्ष की आवश्यकता है. इस तरह की और भी समस्याएं हैं. इन समस्याओं से संबंधित मामलों को न्यायालयों में लड़कर निर्दोष बंदियों की मदद में खड़े होकर उनकी रिहाई के लिए कमर कसने की हमारी पार्टी सभी प्रगतिशील–जनवादी अधिवक्ताओं से अपील करती है.

Abhay

(अभय)

प्रवक्ता

केंद्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)